


क्र. 1159-II-15



अधिक्री आभिमार्ग  
श्री लखीचंद्र कुमार् वरिष्ठ  
पेजी 14-S-15

- 1- वीरेन्द्र बहादुर सिंह | पुत्रगण श्री किशोर बहादुर सिंह
- 2- रावेन्द्र बहादुर सिंह |
- 3- सुरेन्द्र बहादुर सिंह |
- 4- शेर बहादुर सिंह |
- 5- प्रेम बहादुर सिंह |
- 6- राजकुमार सिंह | पुत्रगण रावेन्द्र बहादुर सिंह
- 7- अजय सिंह |

143  
14-3-15

रिवा 4/10/15  
15/5/15

18-5-15

सभी निवासीगण ग्राम रिमारी थाना पन्वार तहसील जवा  
जिला रीवा, 4090 --- आवेदकगण

बनाम

छोटेलाल सिंह तनय गजाधर सिंह साठ रिमारी थाना पन्वार तहसील जवा  
जिला रीवा, 4090 --- अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त  
उभौरा जो पृष्ठ 42/ब/12/12-13 में  
पारित किया जाकर आवेदित भूमि क्र. 263  
413 एवं 415 स्थित ग्राम रिमारी के कथित  
सीमांकन की पुष्टि की गई।

अर्जी वास्ते पुनःस्थापित किये जाने निगरानी  
पृष्ठ R-18 III /14 को।

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35(3) 4090 रीवा सं.  
1959 ई०

मान्यवर,

प्रार्थना पत्र के आधार निम्नलिखित है-

1:- यह कि उक्त प्रकरण आज अंतिम तर्क हेतु सीरियल नं० 23 में  
निवृत्त थी। जिसे अदम पैरवी में। वही निरस्त कर दिया गया है।

क्रमा: 2000

M

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. शे. 11.5.9-दो.11.5... जिला सीपा.....

वीट्ट वहादारी / घोटेमाराही

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
3.2.16	<p>रेस्टोरेशन ठेक ग्राहता पर आवेदन अधिवक्ता के तर्क सुने गए। आवेदन के साथ न्यायो श. मं. के पूर्व प्रकरण आदेश क्र. R 18/III/14 के खारिजी आदेश की प्रति, और न्यायी अधीनस्थ न्यायालय के किसी आदेश की प्रति संलग्न की गई है, जो कि संलग्न होना आवश्यक है।</p> <p>इस के कारण आवेदन अंग्राह्य किया जाता है।</p> <p>प्रकरण समाप्त। दा. फ. हो।</p>	<p>(सदस्य)</p>